



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0)

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur
(C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act, 2009 No. 25 of 2009)

Phone 07752-260381, 260401 Website - www.ggu.ac.in

अंकसूची मुद्रण कार्य हेतु

निविदा सूचना

वर्ष 2022-23



क्रमांक 81/भंडार/परीक्षा/अंकसूची/2022

बिलासपुर, दिनांक :-20/10/2022

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय. **10/11/2022** दोपहर 3.00 बजे तक

निविदा खोले जाने की तिथि..10/11/2022 एवं समय सायंकाल 04.00 बजे से

निविदा प्रपत्र मूल्य : रू. 500/- वापसी योग्य नहीं ।

अमानत राशि : रू. 20,000/- वि0वि0 की शर्तों के अनुसार वापसी योग्य ।



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act 2009 No 25 of 2009)

Phone 07752-260401, 260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinanceggu@gmail.com

निविदा क्रमांक..81 / भंडार / परीक्षा / अंकसूची / 2022

दिनांक 20 / 10 / 2022

अंकसूची मुद्रण कार्य

आवश्यक सूचनायें एवं निर्देश

कृपया निविदा भेजे जाने के पूर्व निम्न लिखित निर्देशों/सूचनाओं का भली भांति पठन कर लें तदनुसार ही परिपूर्ण निविदा को नियत तिथि दिनांक 10/11/2022 को दोपहर 03.00 बजे के पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से संयुक्त कुलसचिव (भण्डार), गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, कोनी, बिलासपुर (छ0ग0) 495009, के पते पर सील बंद लिफाफे में प्रेषित करें।

कार्य का नाम	: अंकसूची मुद्रण कार्य
निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि	: दिनांक -10/11/2022 को दोपहर 03.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र मूल्य	: रु. 500/- वापसी योग्य नहीं
अमानत राशि	: रु. 20,000/- वि0वि0 की शर्त के अनुसार वापसी योग्य

निम्नानुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र/वांछित राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करने के उपरांत ही निविदा विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

- 01 निविदा सूचना के अनुसार अंकसूची का कोरी प्रारूप एवं मुद्रित अंकसूची प्रदाय हेतु निविदा एवं प्रपत्र की राशि एवं अमानत राशि जमा करना अनिवार्य है।
- 02 निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 03 विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में ही आवेदन करना होगा जिसमें सील मुद्रा व निविदाकर्ता का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- 04 विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में निविदा दर (अंकों एवं शब्दों में) पूर्ण स्पेसिफिकेशन, टैक्स आदि के साथ वि0वि0 में सामग्री पहुंचाकर बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के होना चाहिए। जिसमें सील मुद्रा व निविदाकर्ता का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।
- 05 वि0वि0 द्वारा प्रारूप के साथ उपलब्ध कराये गये घोषणा पत्र (जिसमें निविदाकर्ता, फर्म की सील मुद्रा लगाते हुए स्वयं का हस्ताक्षर करें) एवं वि0वि0 की समस्त विशेष एवं सामान्य नियम-शर्तें (जिसमें निविदाकर्ता फर्म की सील मुद्रा लगाते हुए स्वयं का हस्ताक्षर करें) अनिवार्य रूप से निविदा के साथ जमा करें अन्यथा फर्म के द्वारा जमा की गई निविदा निरस्त मानी जायेगी।
- 06 यदि निविदाकर्ता वि0वि0 के कुलसचिव, गुरु घासीदास वि0वि0 के नाम से रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट जमा करते हुए निविदा प्रपत्र प्राप्त करता है तो ऐसे निविदाकार को उस बैंक ड्राफ्ट की विस्तृत जानकारी प्रपत्र में उपलब्ध करानी होगी।
- 07 यदि निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.ggu.ac.in से डाउन लोड किया गया है, तो निविदा के साथ प्रपत्र मूल्य रु. 500/- की राशि का बैंक डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

संयुक्त कुलसचिव (भंडार)

- 08 निविदा के साथ अमानत राशि (संबंधित कार्य/अनुबंध/सामग्री प्रदाय हेतु निविदा सूचना में उल्लेखित अमानत राशि के अनुसार) रेखांकित बैंक डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
- 09 विश्वविद्यालय द्वारा प्रपत्र के साथ समस्त नियम व शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता की सील मुद्रा के साथ हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जिसे निविदाकर्ता अपनी निविदा के साथ आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
- 10 विश्वविद्यालय में समान कार्य/सामग्री प्रदाय के अनुभव संबंधी प्रमाणपत्र ।
- 11 वाणिज्य कर/सक्षम विभाग द्वारा जारी, फर्म का वैध/जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति। (यदि लागू हो)
- 12 PAN & GST कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति ।
- 13 टर्न ओवर सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति (कम से कम 3 वर्षों की) संलग्न करें।
- 14 मुद्रक का एक सेक्यूरिटी प्रिंटर के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण होना आवश्यक है।
- 15 निविदाकर्ता को 3 वर्षों का संबंधित कार्य का अनुभव अनिवार्य है तथा उक्त अनुभव होने संबंधी प्रमाणपत्र/शपथ सहित, निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 16 निविदाकर्ता अपने फर्म के समर्थन में उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज/प्रमाण पत्र/प्रशंसा पत्र जो निविदा में उल्लेखित कार्यों से संबंधित हो उसे भी संलग्न कर सकते हैं।

निविदाकर्ता का नाम

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

दिनांक

फर्म/कम्पनी का नाम

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

संयुक्त कुलसचिव(भंडार)



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(Central University established by the Central Universities Act 2009 No25of 2009)

Phone 07752-260401,260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinanceggv@gmail.com

निविदा क्रमांक.81 / भंडार / परीक्षा / अंकसूची / 2022

दिनांक 20 / 10 / 2022

अंकसूची मुद्रण कार्य

प्रति,

कुलसचिव,
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- अंकसूची मुद्रण कार्य करने विषयक ।
महोदय,

उपरोक्त विषय से संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना क्रमांक / भंडार / परीक्षा / अंकसूची / 2022 बिलासपुर, दिनांक / .. / 2022 के संबंध में निवेदन है कि, हमने निविदा प्रपत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का भली-भांति पठन कर लिया है एवं हमें सभी शर्तें मान्य हैं। अतः मेरी फर्म द्वारा अंकसूची मुद्रण कार्य करने हेतु निविदा दर निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

- 1 निविदाकर्ता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता
निविदाकर्ता का बैंक खाता विवरण IFSC कोड -----

- 2 निविदाकर्ता का नाम
- 3 निविदा प्रपत्र प्राप्त करने का माध्यम
- (विश्वविद्यालय भंडार शाखा से या वि0वि0 वेब साईट से डाउन लोड कर)
- 4 अमानत राशि रु. **रु. 20,000/-** का बैंक ड्राफ्ट क्र.
बैंक का नाम एवं दिनांक
- 5 PAN कार्ड क्र. GST कार्ड क्र.
- 6 वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी फर्म का वैध/जीवित पंजीयन क्र0(प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है।)
7. टर्न ओवर सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति (कम से कम 3 वर्षों की) संलग्न करें।
- 8 अंकसूची मुद्रण की दर (कोरी प्रारूप एवं मुद्रित पृथक-पृथक) विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप/नमूने के समान कागज पर अंकित कर संलग्न है।
- 9 निविदा प्रपत्र की कुल पृष्ठ संख्या है एवं मेरे द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न है:-.....
.....
.....

निविदाकर्ता का नाम

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक

फर्म / कम्पनी का नाम

पता

दूरभाष क्रमांक



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act 2009 No 25 of 2009)
Phone 07752-260401, 260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinanceggu@gmail.com

निविदा क्रमांक..81 / भंडार / परीक्षा / अंकसूची / 2022

दिनांक 20 / 10 / 2022

वित्तीय बोली (PRICE-BID)

प्रति,

.....
.....
.....

1. फर्म का नाम
पता:-

फैक्स नं..... फोन नं0 / मोबाईल नं0.....

2. प्रति कोरी अंकसूची प्रपत्र की प्रस्तावित दर अंकों में(शब्दों में.....
.....) Synthetic un-coated paper made up of silica with poly-olefin which is mono-layer sheet of 130GSM, A-4 size, three colour on front side and single colour on back side, long life, paper like appearance, tear resistant, water resistant, high fold endurance, chemical resistant, with good, smudge & scuff resistance and able to print using a Laser Printer.
3. प्रति अंकसूची मुद्रित केवल विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये छात्रों के परीक्षा परिणाम से संबंधित विवरण के साथ उपर कंडिका 2 में उल्लेखित विवरण के अनुसार समान गुणवत्ता वाले पेपर में मुद्रण, की प्रस्तावित दर अंकों में (शब्दों में.....
.....)

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act 2009 No 25 of 2009)

Phone 07752-260401, 260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinanceggv@gmail.com

निविदा क्रमांक.81 / भंडार / परीक्षा / अंकसूची / 2022

दिनांक 20 / 10 / 2022

अंकसूची मुद्रण कार्य

अंकसूची मुद्रण कार्य करने से संबंधित विशेष नियम एवं शर्तें

01. निविदाकार द्वारा पूर्व में जिन विश्वविद्यालयों में अंकसूची (कोरी प्रारूप एवं मुद्रित पृथक-पृथक) प्रिंटिंग का कार्य किया हो, उसका नमूना, आर्डर के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
02. निविदाकार को अंकसूची मुद्रण के लिये रु 20,000/- (रु बीस हजार मात्र) अमानत राशि, जो कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) के नाम पर देय हो, का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। यह राशि बाद में सुरक्षा राशि (EMD) में समायोजित की जाएगी। इस पर कोई भी ब्याज निविदाकार को देय नहीं होगा।
03. निविदाकार को सामग्री विश्वविद्यालय कार्यालय तक स्वयं के व्यय में पहुंचाना होगा।
04. विश्वविद्यालय अंकसूची मुद्रण स्थल का निरीक्षण तथा सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।
05. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् रु 100/- के नान् ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
06. निविदाकार के पास स्वयं का प्रिंटिंग का पूर्ण यूनिट होना अनिवार्य है इस हेतु प्रमाण संलग्न करें।
07. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त रु 05 लाख का टर्न ओवर होने के दस्तावेज लगाना होगा एवं किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/ पंजीकृत राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय स्तर के वि0वि0 में रु 02 लाख तक किए गए मुद्रण कार्यों के कार्यादेश की प्रति लगाना होगा।
08. वर्तमान में जिन-जिन विश्वविद्यालयों की अंकसूची का मुद्रण किया जा रहा है, उनके कार्यादेश की छाया प्रति संलग्न करें।
09. मुद्रक का एक सेक्यूरिटी प्रिंटर के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकरण होना आवश्यक है।
10. अंकसूची मुद्रण के लिये कागज का नमूना (synthetic un-coated paper made up of silica with poly-olefin which is mono-layer sheet of 130GSM, A-4 size, up to four colour on front side and single colour on back side, long life, paper like appearance, tear resistant, water resistant, high fold endurance, chemical resistant, with good, smudge & scuff resistance and able to print using a Laser Printer) लगाना अनिवार्य होगा, नमूना जो स्याही को फैलने से रोके, उच्च गुणवत्ता वाला जो सामान्य लेजर प्रिंटर से प्रिंट हो सके।

11. अंकसूची मुद्रण प्रथम (मुख्य) पृष्ठ तीन कलर में तथा पृष्ठ भाग (द्वितीय पृष्ठ) एक कलर का होगा, जिसमें विश्वविद्यालय का नाम वाटर मार्क के रूप में पूरे पेपर में तथा मोनो उपर बाये भाग में तथा मोनो वाटर मार्क पेपर के मध्य में होगा, अनुबंध के समय डिजाईन परीक्षा शाखा द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित (finalise) की जायेगी।
12. प्रत्येक अंकसूची उल्लेखित प्रारूप के साईज की होगी तथा उसमें नम्बरिंग होगी।
13. अंकसूची के कागज का नमूना वही संलग्न करें जो वित्तीय बोली में उल्लेखित गुण एवं आकार वाला हो जिसमें प्रिंटिंग करना चाहते हैं।
14. अंकसूची मुद्रण में मुद्रक की ओर से किन्हीं तीन बिन्दुओं का उल्लेख करें जो विशेष तौर पर मुद्रक गोपनीय तौर पर देना चाहता हो तथा अंकसूची मुद्रण के सेक्युरिटी फीचर्स का उल्लेख करें।
15. अंकसूची (कोरी प्रारूप एवं मुद्रित) फार्मेट चेक सिक््योरिटी अरेंजमेंट के साथ होना चाहिये।
16. वर्तमान में प्रदान की जा रही अंकसूची का नमूना विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में देखा जा सकता है।
17. प्रत्येक अंकसूची में छात्र का नाम, रोल नम्बर, इनरोलमेंट नम्बर, वर्ष एवं अन्य जानकारी का मुद्रण समर्थ पोर्टल से पीडीएफ/ Excel के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार मुद्रण करना होगा।
18. अंकसूची में पृष्ठ भाग पर परीक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई परीक्षा परिणाम संबंधी निर्देश यथा- नॉन सीबीसीएस, ओल्ड सीबीसीएस के अनुसार ग्रेडिंग सिस्टम मुद्रित करना होगा।
19. अनुबंध के समय विश्वविद्यालय के अंकसूची फार्मेट में कलर, डिजाईन एवं अन्य कोई भी परिवर्तन गोपनीय सुरक्षा की दृष्टि से परिवर्तित किया जा सकता है। (जो अनुबंध के समय उल्लेख किया जायेगा।)
20. प्रिंटेड अंकसूची (कोरी प्रारूप एवं मुद्रित) मुद्रण संबंधी अनुबंध कार्यादेश जारी होने की तिथि से आगामी तीन वर्ष तक दोनों पक्षों को मान्य होगा।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

संयुक्त कुलसचिव (भंडार)



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act 2009 No25of 2009)
Phone 07752-260401,260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinanceggu@gmail.com

निविदा क्रमांक.81 / भंडार / परीक्षा / अंकसूची / 2022

दिनांक 20 / 10 / 2022

अंकसूची मुद्रण कार्य

अ) निविदाकर्ता की अर्हतायें

- 1 निविदाकर्ता को 2 वर्षों का संबंधित कार्य का शासकीय/अर्धशासकीय/ पंजीकृत राष्ट्रीय/बहु राष्ट्रीय स्तर के वि0वि0 में अनुभव अनिवार्य है तथा उक्त अनुभव होने संबंधी प्रमाण/शपथ सहित, निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 2 निविदाकार के पास स्वयं का प्रिंटिंग का पूर्ण यूनिट होना अनिवार्य है इस हेतु प्रमाण संलग्न करें।
- 3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त रु 05 लाख का टर्न ओवर होने के दस्तावेज लगाना होगा एवं किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/ पंजीकृत राष्ट्रीय/बहुराष्ट्रीय स्तर के वि0वि0 में रु 02 लाख तक किए गए मुद्रण कार्यों के कार्यादेश की प्रति लगाना होगा।
- 4 वर्तमान में जिन-जिन विश्वविद्यालयों की अंकसूची प्रमाण पत्र का मुद्रण किया जा रहा है, उनके कार्यादेश की छाया प्रति संलग्न करें।

ब) निविदा की पद्धति: निविदाएं दो बोली पद्धति में आमंत्रित है—तकनीकी बोली— A तथा वित्तीय बोली -B

तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली पृथक-पृथक लिफाफों में सील बंद करके एक तीसरे बड़े लिफाफे में भेजना होगा। तकनीकी बोली के लिफाफे पर बड़े अक्षरों में तकनीकी बोली शब्द लिखें जबकि वित्तीय बोली के लिफाफे पर बड़े अक्षरों में वित्तीय बोली शब्द लिखकर इन दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में सील बंदकर तीसरे बड़े लिफाफे पर प्रेषिती के रूप में निविदाकर्ता फर्म का पूर्ण नाम, पता, मोबाईल नं., ई-मेल पता इत्यादि अंकित कर बड़े लिफाफे पर उपर "अंकसूची मुद्रण कार्यों के लिए दर अनुबंध हेतु निविदा" निविदा क्रमांक दिनांक .../.../2022 लिखकर वि0वि0 द्वारा निर्धारित पते संयुक्त कुलसचिव (भंडार) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ0ग0 पिन- 495009 को प्रेषित करें।

तकनीकी बोली में निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न किया जाना है:-

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रपत्र।
2. निविदा दस्तावेज -प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील सहित।
3. अनुभव संबंधी दस्तावेज।
4. पंजीयन संबंधी दस्तावेज।
5. निविदाकर्ता फर्म द्वारा मुद्रित किये गये सर्वश्रेष्ठ अंकसूचियों के 05 मुद्रित नमूनों की प्रतिया जिन पर कागज की गुणवत्ता (स्याही फैलने वाला न हो) एवं GSM का प्रमाणित उल्लेख हो।
6. मुद्रक के द्वारा जिस गुणवत्ता के कागज पर अंकसूची मुद्रण किया जाना प्रस्तावित है उस कागज के नमूनों की प्रतियां GSM के प्रमाणीकरण एवं निविदा की शर्तों के अनुरूप होने के शपथ सहित संलग्न किया जाय।
7. निविदा दस्तावेज शुल्क तथा EMD राशि का D.D.।

वित्तीय बोली:- वित्तीय बोली निर्धारित प्रपत्र में निविदाकार द्वारा दर अंकित कर सीलबंद लिफाफे में पृथक से संलग्न किया जाना चाहिए।

प्रथमतः तकनीकी बोलियां खोली जायेगी तदोपरांत तकनीकी रूप से अर्ह पाये जाने पर उन निविदाकारों की वित्तीय बोलियां खोली जायेगी जिनके द्वारा प्रस्तुत मुद्रित नमूने संतोषजनक होंगे। तकनीकी रूप से अर्ह उचित दर दाता फर्मों से गुणवत्ता के

आधार पर दर अनुबंध किया जायेगा। फर्म द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बोली एवं निविदा में संलग्न नमूने का परीक्षण वि०वि० के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा। नमूना पसंद न आने पर या नमूना निम्न कोटि का पाये जाने पर तकनीकी बोली को अमान्य कर दिया जायेगा एवं ऐसे फर्मों की वित्तीय बोलियों को नहीं खोला जायेगा।

स) निविदा की सामान्य नियम एवं शर्तें

- 1 निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा तथा मूलतः निविदाकर्ता को वापस लौटा दी जायेगी।
- 2 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर निविदाकर्ता को करना होगा। निविदाकर्ता को सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र नियम शर्तों सहित जो कि वि०वि० द्वारा उपलब्ध कराया गया है। (नियम शर्तों के प्रत्येक पृष्ठों में सील सहित हस्ताक्षर करते हुए) आवश्यक रूप से जमा करना होगा।
- 3 निविदा सूचना के अनुसार अंकसूची मुद्रण की राशि एवं अमानत राशि जमा करना अनिवार्य है। यदि निविदाकर्ता इसका पालन नहीं करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा बिना कारण बताये निरस्त समझी जायेगी।
- 4 यदि निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से जमा की जाती है तो ऐसी निविदा को विश्वविद्यालय अस्वीकार कर देगा।
- 5 विश्वविद्यालय निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर पर किसी कार्य को कराये जाने के लिये बाध्य नहीं होगा। विश्वविद्यालय सामग्री की गुणवत्ता एवं निविदाकर्ता के समान कार्य के अनुभव के आधार पर वि०वि० हित में किसी भी निविदाकार से कार्य कराये जाने का निर्णय ले सकता है।
- 6 किसी भी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी कार्य के लिए निविदाकर्ता फर्म को किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय या कोई अन्य प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।
- 7 निविदाकर्ता फर्म द्वारा प्रदायित सामग्री / किया गया कार्य यदि नमूने के अनुरूप संतोषप्रद नहीं पाया गया या फिर फर्म द्वारा वि०वि० के आदेश के अनुरूप कार्य नहीं किया गया तो, निविदाकर्ता फर्म की अमानत राशि को जप्त करते हुए, फर्म को काली सूची में सूचीबद्ध करने एवं नियमानुसार फर्म के विरुद्ध अन्य दंडात्मक कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 8 निविदा कर्ता फर्म को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश का पालन करना होगा।
- 9 निविदा में दर्शायी गई दरों में उपरिलेखन (Overwriting) होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी। कृपया दरों को शब्दों एवं अक्षरों में स्पष्ट रूप से अंकित करें।
- 10 किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता फर्म को सामग्री का प्रदाय/कार्य संपादन विश्वविद्यालय के कार्य/कर्म आदेश के अनुरूप पूर्ण करने के पूर्व अग्रिम भुगतान या आंशिक भुगतान की पात्रता नहीं होगी।
- 11 एक या एक से अधिक निविदा स्वीकृत करने या किसी भी समय किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.) के पास सुरक्षित रहेगा।
- 12 विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय किये गये निविदा प्रपत्र में ही फर्म अथवा फर्म के पार्टनर या फर्म के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही निविदा की दरें भरकर हस्ताक्षर करें अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है।
- 13 आवश्यकता अनुसार, निविदा में दर्शायी गई दरों में निगोसियेशन भी किया जा सकता है।
- 14 निविदा में दर्शायी गयी दरें, आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगी तथा निविदा दर स्वीकृत होने पर आदेश पत्र में उल्लेखित तिथि के अंदर कार्य/सामग्री प्रदाय करना होगा। दरें एवं शर्तें आपसी सहमति से अतिरिक्त 02 वर्षों तक मान्य की जा सकेगी।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

संयुक्त कुलसचिव (भंडार)

15. फर्म के द्वारा प्रस्तुत दर न्यूनतम होनी चाहिए एवं किसी भी समय यदि वि0वि0 को यह ज्ञात होता है कि फर्म ने किसी अन्य संस्थान/कार्यालय में समान प्रकार के कार्य/सामग्री का प्रदाय करने हेतु इस निविदा में प्रस्तुत दर से कम में, कार्य किया/सामग्री प्रदाय किया है तो, वि0वि0 को यह अधिकार होगा कि फर्म के देयक से एवं फर्म द्वारा जमा की गई अमानत राशि/सुरक्षा निधि की राशि में से अंतर की राशि की कटौती कर ली जायेगी।
16. कार्य/सामग्री प्रदाय के दौरान यदि किसी तरह की प्राकृतिक आपदा के कारण या फिर बिजली कटौती या मशीन के ब्रेक डाउन या हड़ताल या परिवहन की समस्या या किसी अन्य कारण से मुद्रण संबंधी कार्य में बाधा उत्पन्न होती है तो निविदाकर्ता के आवेदन के परीक्षणोपरांत, कुलसचिव के सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर, निविदाकर्ता के आवेदन पर समयवृद्धि (कटौती के बिना या कटौती के साथ) मान्य की जा सकेगी। परंतु निविदाकर्ता को इस विलंब के लिये अतिरिक्त राशि का भुगतान किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।
17. निविदा में वर्णित सामग्री का प्रदाय/कार्य का संपादन, निविदा स्वीकृत होने पर प्रदाय/कार्य आदेश में उल्लेखित वि.वि. के समस्त नियम एवं शर्तों के साथ करना होगा आदेशित अवधि के अंदर प्रदाय/कार्य पूर्ण नहीं करने पर विलंब हेतु कटौती की जावेगी जो निम्नानुसार होगी।
अवधि में वृद्धि (कटौती के बिना या कटौती के साथ) किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। यदि आदेश पत्र में निर्धारित तिथि से अधिक समय की आवश्यकता हो तो प्रदाय/कार्य संपादन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम सात दिवस पूर्व इस हेतु आवेदन देना चाहिये ताकि समय वृद्धि पर विचार कर आदेश दिया जा सके। आदेश में दिये गये तिथि के अंदर प्रदाय/कार्य पूर्ण नहीं करने पर निम्नानुसार देयक से कटौती की जायेगी।
अ. 15 दिनों तक के विलम्ब के लिये 01 प्रतिशत
ब. 30 दिनों तक के विलम्ब के लिये 03 प्रतिशत
स. 30 दिनों के बाद विलंब के लिए 05 प्रतिशत
18. निविदाकर्ता द्वारा एक बार अपनी निविदा विश्वविद्यालय में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से प्रेषित कर देने के पश्चात् यदि वह निविदा में सम्मिलित नहीं होना चाहता है तो ऐसे निविदाकर्ता को निविदा खोले जाने के पूर्व, इस आशय का लिखित आवेदन कुलसचिव, गुरु घासीदास वि0वि0 बिलासपुर के नाम से प्रस्तुत करना होगा। निविदा खोले जाने के उपरांत किसी भी स्थिति में निविदाकर्ता निविदा से बाहर होने संबंधी आवेदन नहीं कर सकेगा अन्यथा निविदा कर्ता की अमानत राशि वि0वि0 द्वारा जप्त करते हुए फर्म को वि0वि0, अपनी काली सूची में सूची बद्ध करने के लिए स्वतंत्र होगा।
19. निविदाकर्ता निविदा को प्रेषित करने के बाद यदि निविदा में कोई अन्य दस्तावेज संलग्न करना चाहता है या फिर प्रस्तुत की गई दर में संशोधन करना चाहता है तो, ऐसे निविदा कर्ता को पृथक से एक लिखित आवेदन के साथ कुलसचिव, गुरु घासीदास वि0वि0 कोनी, बिलासपुर (छ0ग0) के नाम पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर से वि0वि0 को निविदा खोले जाने के पूर्व तक प्रेषित कर सकता है। निविदा खोले जाने के उपरांत निविदा कर्ता के किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।
20. निविदा में कय/कार्य हेतु दर्शायी गई मात्रा/अनुमानित राशि को कम या अधिक करने का अधिकार कुल सचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छ.ग. के पास सुरक्षित रहेगा। निविदाकर्ता पर संशोधित मात्रा/राशि के अनुरूप सामग्री प्रदाय/कार्य संपादित वि0वि0 के नियम व शर्तों के साथ करना बंधनकारी होगा।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर

संयुक्त कुलसचिव (भंडार)

- 21 निविदा में दर्शायी गई दर में समस्त व्यय सम्मिलित माना जायेगा एवं प्रचलित टैक्स के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी व्यय वि0वि0 द्वारा मान्य नहीं किया जायेगा।
- 22 निविदाकर्ता फर्म का यदि वि0वि0 में पूर्व का कोई भी देयक लंबित होगा या पूर्व के किसी भी विभाग की निविदा हेतु अमानत राशि/सुरक्षा निधि वि0वि0 के पास जमा होगी तो ऐसे समस्त देय/जमा राशि/एफ.डी.आर. को इस निविदा के लिये अमानत राशि/सुरक्षा निधि के रूप में मान्य नहीं किया जायेगा। अतः इस निविदा हेतु समस्त राशि को पृथक से वि0वि0 में जमा करना होगा अन्यथा फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।
- 23 अमानत राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। यह राशि समय सीमा समाप्ति पश्चात् निविदाकर्ता द्वारा आवेदन करने पर मूलतः वापस कर दी जायेगी।
- 24 अंतिम रूप से निविदा स्वीकार होने के पूर्व यदि निविदाकर्ता निविदा वापस लेना चाहे अथवा जिनकी दरें कय समिति द्वारा अनुमोदित नहीं होगी उनकी अमानत राशि आवेदन प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के मूलतः वापस लौटा दी जायेगी।
- 25 **नियत तिथि व समय के उपरांत किसी भी निविदा को वि0वि0 द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।** डाक विभाग में किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब के लिये वि0वि0 जवाबदेह नहीं होगा एवं ऐसे प्रकरण में निविदाकार की कोई भी अपील वि0वि0 द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 26 विश्वविद्यालय द्वारा निविदा में दी गई नियम व शर्त में संशोधन करने, अतिरिक्त शर्त जोड़ने एवं वि0वि0 हित में किसी नियम/शर्त को शिथिल करने का पूर्ण विशेषाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा एवं निविदाकर्ता पर बंधनकारी रहेगा।
- 27 निविदाकर्ता को वि0वि0 के परिसर में कहीं भी आदेशानुसार सामग्री का प्रदाय/कार्य का संपादन बिना किसी अतिरिक्त भुगतान (यथा लोडिंग, अनलोडिंग परिवहन व्यय आदि) के करना होगा।
- 28 निविदा खोले जाते समय निविदाकर्ता स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (निविदाकर्ता द्वारा जारी अधिकार पत्र के साथ) समिति के समक्ष उपस्थित रह सकता है।
- 29 वि0वि0 हित में यदि आवश्यकता होगी तो किसी भी कार्य/सामग्री प्रदाय हेतु एक से अधिक निविदाकार को निगोसियेशन उपरांत कार्य संपादन/सामग्री प्रदाय हेतु कार्य / कय आदेश दिया जा सकेगा।
- 30 निविदाकर्ता को वि0वि0 द्वारा निविदा मान्य/स्वीकृत होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार निगोसियेशन एवं अनुबंध के लिए वि0वि0 में बुलाये जाने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इस कार्य को संपादित करने में जो भी व्यय भार होगा उसे निविदाकर्ता स्वयं वहन करेगा।
- 31 निर्माता कंपनी/उत्पादनकर्ता/वितरक द्वारा समय समय पर किसी भी सामग्री पर यदि कोई छूट किसी भी स्कीम के तहत उपभोक्ता को दी जाती है तो ऐसी छूट एवं इसकी स्कीम का लाभ निविदाकर्ता वि0वि0 को प्रदान करने हेतु बाध्य होगा अन्यथा की स्थिति में अंतर की राशि निविदाकर्ता के देयक से वि0वि0 कटौती करने को स्वतंत्र होगा।
- 32 निविदा में उल्लेखित किसी भी कार्य को संपादित कराने अथवा बिना कोई कारण बताये वि0वि0 हित में ऐसे किसी भी कार्य को न कराने का अधिकार वि0वि0 के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा।
- 33 किसी भी विवाद की स्थिति में पहली अपील कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) को विवाद उत्पन्न होने की तिथि के एक सप्ताह के अंदर तथा द्वितीय अपील दो सप्ताह के अंदर कुलपति को किया जा सकेगा। कुलपति, गुरु घासीदास वि0वि0, बिलासपुर छ0ग0, निर्णय हेतु प्रकरण को किसी भी आरबीट्रेटर के पास भेज सकेगे (आरबीट्रेडेशन एक्ट के अनुसार)। ऐसे प्रकरण में कुलपति जी के स्वयं का निर्णय या आरबीट्रेटर का निर्णय सर्वमान्य होगा।
34. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में बिलासपुर (छ0ग0) न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही मान्य होगा।
35. फर्म को प्रत्येक सामग्री/कार्य के लिए दर प्रदान करना आवश्यक है। यदि फर्म किसी सामग्री/कार्य में अपनी दर अंकित नहीं करती है तो यह मान लिया जायेगा कि फर्म उस सामग्री/कार्य की दर अन्य सामग्री/कार्य में समाहित कर ली गई है।

निविदाकर्ता के सील मुद्रा सहित हस्ताक्षर
(भंडार)

संयुक्त कुलसचिव



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.)

(A Central University established by the Central Universities Act 2009 No.25 of 2009)
Phone 07752-260401, 260381, Web site www.ggu.ac.in Email- arfinanceggu@gmail.com

निविदा क्रमांक 81 / भंडार / परीक्षा / अंकसूची / 2022

दिनांक 20 / 10 / 2022

अंकसूची मुद्रण कार्य

निविदाकर्ता द्वारा घोषणा पत्र

(10/- Stamp Paper with Notorised)

निविदाकर्ता कृपया घोषणा पत्र का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत फर्म की सील मुद्रा लगाते हुए नाम एवं पूर्ण पता सहित निविदाकर्ता अपना स्वयं हस्ताक्षर करें एवं इसे आवश्यक रूप से निविदा के साथ जमा करें। निविदा के साथ घोषणा पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकेगी।

घोषणा पत्र

फर्म यह घोषणा करती हैं कि, विश्वविद्यालय द्वारा दी गई समस्त विशेष एवं सामान्य नियम-शर्त का निविदाकर्ता द्वारा भली भांति पठन कर लिया है एवं समझ लिया गया है। निविदाकर्ता को वि०वि० की समस्त विशेष एवं सामान्य नियम व शर्त मान्य है एवं निविदाकर्ता/फर्म पर बंधनकारी है। निविदाकर्ता/फर्म ने वि०वि० द्वारा निविदा प्रपत्र में वांछित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रति, वांछित राशि का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न कर दिया है। निविदा में, फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/जानकारी असत्य नहीं है। फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में किसी प्रकार की काट छांट नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा वांछित दस्तावेज, राशि, सामग्री का नमूना आदि मेरे द्वारा संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है।

मुझे ज्ञात है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा में, यदि किसी भी प्रकार की दस्तावेजों/जानकारी में कमी होगी, या फर्म द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/जानकारी असत्य होगी एवं नियत तिथि व समय के पश्चात् यदि मेरी निविदा वि०वि० को प्राप्त होती है या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर के अलावा यदि मैंने निविदा वि०वि० को प्रेषित की है या वि०वि० द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध कराये गये समस्त विशेष एवं सामान्य नियम -शर्त, दिशा निर्देशों का यदि मैंने पालन नहीं किया है तो मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा स्वयं निरस्त मानी जायेगी एवं वि०वि० का कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा एवं फर्म पर बंधनकारी होगा।

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता फर्म की सील/मुद्रा, नाम एवं पूर्ण पता सहित निविदाकर्ता हस्ताक्षर करें।